

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2112 / 2024


दिनांक : 13.06.2024

**श्रीमती मीनाक्षी चौधरी** (RJ01443), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-01, उदयपुर को दिनांक 02.07.2024 से 24.12.2024 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 25.12.2024 से 01.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

**श्रीमती ममता मीना** (RJ01124), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-02, उदयपुर को श्रीमती मीनाक्षी चौधरी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-01, उदयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **श्रीमती ममता मीना** (RJ01124), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालयों के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

  
13/6/24


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक./13.06.2024

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/01/2021/ 4945

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 2400 दिनांक 03.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती मीनाक्षी चौधरी** (RJ01443), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-01, उदयपुर।
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. प्रकरण) कम-01, उदयपुर।
5. **श्रीमती ममता मीना** (RJ01124), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-02, उदयपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) कम-02, उदयपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार